सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.:सं. NCST/DEV-4247/JH/14/2025-RU-IV दिनांक : 17.06.2025

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - पलामू
जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त कार्यालय,
नया समाहरणालय, मेदिनीनगर,पलामू, झारखंड 822101
Email Id: dc-pal@nic.in

विषय: पलामू जिले (झारखंड) में स्थित चेरो जनजाति की विभिन्न समस्यों के निराकरण के संबंध में अनुरोध – श्री अर्जुन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ, ग्राम-चुकरू, पोस्ट-सुआ, थाना-सदर मेदिनी नगर, जिला पलामू (झारखंड) एवं 03 अन्यों का दिनांक 17.09.2024 एवं विभिन्न तिथियों के पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री अर्जुन सिंह,
प्रदेश अध्यक्ष,
राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ,
ग्राम-चुकरू,
पोस्ट-सुआ,
थाना-सदर मेदिनी नगर,
जिला पलामू (झारखंड)
Mobile No:6207819003

श्री दीपक कुमार सिंह,
ग्राम-दुबा, पोस्च-चान्दों,
थाना-चैनपुर,
जिला-पलामू-822110

श्री राजगोविंद सिंह चेरो,
ग्राम-नावा चुनका,
पोस्ट व थाना-मतातू
जिला-पलामू
मोबाइलः 9534076339

श्री मिथलेश उरॉव,
अध्यक्ष,
अद्दि कुडुख सरना समाज,
जिला-पलामू
मोबाइलः 9852264956
तथा 9123411528

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-4247/JH/14/2025-RU-IV

श्री अर्जुन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ, ग्राम-चुकरू, पोस्ट-सुआ, थाना-सदर मेदिनी नगर, जिला पलामू (झारखंड) के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 16.05.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	16.05.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

पलामू ज़िले के चेरो और उराँव (कुडूख सरना) जनजातीय समुदायों ने अपनी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भूमि-संबंधी समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में हेतु मांग की है कि चेरो जाति के लिए विशेष विकास योजनाएं, शोध संस्थान, शैक्षणिक व्यवस्था तथा पलामू व शाहपुर किला का संरक्षण हो; उनकी भूमि पर अवैध कब्जे रोके जाएं। उराँव समाज ने कुडूख महाविद्यालय, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रावास, सरना स्थल व धुमकुड़िया निर्माण, सरल छात्रवृत्ति, आदिवासी पहचान की रक्षा, SC/ST कानून का पालन, वनपट्टा वितरण, और योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन जैसी माँगें रखी हैं। साथ ही, फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक, आदिवासी समाज की हत्या पर उच्च स्तरीय जाँच, और "मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी" को वित्तीय सहायता की भी अपील की गई है।

2. आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में 15 दिनों में रिपोर्ट मांगने हेतु उपायुक्त, जिला-पलामू (झारखंड) को नोटिस भेजा गया था।

3. तद्नुसार मामले में दिनांक 16.05.2025 को आयोग द्वारा सिटिंग तय की गई और सम्बन्धित को सिटिंग नोटिस जारी किए गए

4. दिनांक 16.05.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान उपायुक्त, पलामू (झारखंड) उपस्थित रहे। मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

   1. **यह मामला सामान्य विषयों से सम्बन्धित है अत आज सुनवाई के पश्चात आयोग में बंद किया जाता है**

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/DEV-4247/JH/14/2025-RU-IV)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 16.04.2025 at 02:20 PM in the case of श्री अर्जुन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ, ग्राम-चुकरू, पोस्ट-सुआ, थाना-सदर मेदिनी नगर, जिला पलामू (झारखंड) |

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	**जिलाधिकारी, पलामू (झारखंड)**		
1.	DC		
2.			
3.			
4.			
III	**अभ्यावेदक**		
1.			
2.			